संख्या 31011/8/79-स्थापना (क)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 25/1/1980

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- छुट्टी यात्रा रियायत- दावे प्रस्तुत करने में अनियमितताओं को रोकना ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संबंधित सरकारी कर्मचारियों से अनुरोध है कि छुट्टी यात्रा रियायतों के संबंध में अपने दावे प्रस्तुत करते समय वे अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य जैसे रेलवे टिकटों की क्रम संख्या, नकदी रसीदें आदि प्रस्तुत करें । इस विभाग की जानकारी में यह बात लाई गई है कि अनेक मामलों में छुट्टी यात्रा रियायत के दावे पूर्ण विवरण और समर्थक साक्ष्य के बिना प्रस्तुत किए जाते हैं जिससे नियंत्रण प्राधिकारी दावे की प्रामाणिकता के बारे में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाते । इसलिए, छुट्टी यात्रा रियायत के किसी दावे की प्रामाणिकता के निर्धारण को सुगम बनाने तथा अनियमित दावों को रोकने के लिए यह निर्णय किया गया है कि जहाँ इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख को अथवा उसके बाद यात्रा आरम्भ की गई है वहाँ छुट्टी यात्रा रियायत के सभी दावे निम्न प्रकार से सत्यापित किए जाने चाहिए :-

(i) सरकारी कर्मचारी द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत के अपने दावे के साथ प्रस्तुत की गई सभी रसीदों के पीछे उसके हस्ताक्षर होने चाहिए,

(ii) दावे के मुख्य भाग में पूर्ण ब्योरे निर्दिष्ट किए जाने चाहिए जैसे नकदी रसीद की क्रम संख्या, जारी करने की तारीख और जारी की गई रसीद की राशि और जारी करने वाला प्राधिकरण,

(iii) जिन मामलों में यात्रा चार्टर्ड बस/किराए की टैक्सी आदि द्वारा की गई है उनमें संबंधित सरकारी कर्मचारी को नकद रसीद के अतिरिक्त उस बस/टैक्सी की पंजीकरण संख्या भी निर्दिष्ट करनी चाहिए जिसमें वास्तविक रूप में यात्रा की गई है । इसके अतिरिक्त जब यात्रा किसी चार्टर्ड बस द्वारा की जाती है तो उसे यात्रा ऐजेंट/बस के मालिक से इस आशय का एक प्रमाण भी प्रस्तुत करना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी और/अथवा उसके परिवार के सदस्यों ने वास्तविक रूप से उस वाहन से यात्रा की है जिसकी पंजीकरण संख्या दी गई है ।

2- वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि अपने नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहे सभी सरकारी कर्मचारियों में उपर्युक्त निर्णय का व्यापक प्रचार करें तथा इसे उनकी जानकारी में लाएं ।

3- जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्य कर रहे व्यक्तियों का संबंध है ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

(बी०एस० निगम)
उप सचिव, भारत सरकार

संख्या 31011/8/79-स्थापना(क) नई दिल्ली, दिनांक

प्रति निम्नलिखित को सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचनार्थ अग्रेषित:-

1- भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक, नई दिल्ली।

2- संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।

3- केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।

4- पंजीकार, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।

5- लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/।

6- भाषाई अल्प संख्यक आयुक्त, इलाहाबाद।

7- सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन।

8- वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ई-IV (ख) शाखा को 25 अतिरिक्त प्रतियों सहित।

9- कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।

10- कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग और गृह मंत्रालय के सभी अधिकारी और अनुभाग।

(बी०एस० निगम)
उप सचिव, भारत सरकार